eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

महिलाओं के प्रति बढ़ती घरेलू हिंसा एवं बचाव

[1]डॉ श्वेता शर्मा
[1]असिस्टेंट प्रोफेसर– इतिहास, मान्यवर कांशीराम राजकीय महाविद्यालय नंदग्राम, गाजियाबाद

Received: 15 September 2023 Accepted and Reviewed: 25 September 2023, Published : 01 October 2023

Abstract

महिलाओं के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। कई महिलाओं को घर की चार दीवारी में अपराध और हिंसा का सामना करना पड़ता है। जाहिर है, हमारी सामाजिक स्थिति के कारण यह हिंसा महिलाओं पर ज्यादा होती है। इस हिंसा का असर पीड़ित महिला तक ही सीमित नहीं है बल्कि घर के बच्चे भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। महिलाओं को अपनी अक्षमता, सामाजिक तंगी और पसंद की कमी के कारण लगातार इस स्थिति का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

शब्द संक्षेप– सामाजिक स्थिति, महिला कानून, घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न एवं बचाव।

Introduction

महिलाओं के खिलाफ हिंसा हमारे समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता का प्रमाण है। इससे महिलाओं के जीवन, स्वतंत्रता और समानता के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के तमाम देशों ने इस हिंसा को रोकने की जिम्मेदारी स्वीकार की है!

घरेलू हिंसा की परिभाषाः– कोई भी महिला यदि परिवार के पुरुष या अन्य द्वारा की गयी मारपीट या अन्य प्रताडना से तृष्ट है तो वह घरेलू हिंसा कहलायगी। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 उसमें घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण और सहायता के अधिकार प्रदान करता है।"[1]

घरेलू हिंसा की कानूनी परिभाषाः– इस क़ानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे में अनेक प्रकार की हिंसा और दुर्व्यवहार आते हैं। किसी भी घरेलू सम्बंध या नातेदारी में किसी प्रकार का व्यवहार, आचरण या बर्ताव जिससे (1) आपके स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, या किसी अंग को कोई क्षति पहुँचती है, या (2) मानसिक या शारीरिक हानि होती है, घरेलू हिंसा है। इसके अलावा घरेलू सम्बन्धों या नातेदारी में, किसी भी प्रकार का शारीरिक दुरुपयोग (जैसे मार–पीट करना, थप्पड़ मारना, दाँत काटना, ठोकर मारना, लात मारना इत्यादि), लैंगिक शोषण (बलपूर्वक बनाए गए शारीरिक सम्बंध, अश्लील साहित्य या सामग्री देखने के लिए मजबूर करना, अपमानित करने के दृष्टिकोण से किया गया लैंगिक व्यवहार, और बालकों के साथ लैंगिक दुर्व्यवहार), मौखिक और भावनात्मक हिंसा (जैसे अपमानित करना, गालियाँ देना, चरित्र और आचरण पर आरोप लगाना, लड़का न होने पर प्रताड़ित करना, दहेज के नाम पर प्रताड़ित करना, नौकरी न करने या छोड़ने के लिए मजबूर करना, आपको अपने मन से विवाह न करने देना या किसी व्यक्ति विशेष से विवाह के लिए मजबूर करना, आत्महत्या की धमकी देना इत्यादि), आर्थिक हिंसा (जैसे आपको या आपके बच्चे को अपनी देखभाल के लिए धन और संसाधन न देना, आपको अपना रोज़गार न करने देना, या उसमें रुकावट डालना, आपकी आय, वेतन इत्यादि आपसे ले लेना, घर से बाहर निकाल देना इत्यादि), भी घरेलू हिंसा है।

घरेलू हिंसा की परिभाषा के दायरे में आने के लिए ज़रूरी नहीं कि कुछ किया ही जाए, कुछ परिरिस्थितियों में घरेलू सम्बन्धों में कुछ नहीं करना भी (चूक) जिससे किसी व्यक्ति के जीवन और कल्याण को चोट पहुंची हो, घरेलू हिंसा कहलाएगा; उदाहरण के तौर पर, घर का खर्च न उठाना, बच्चों की परवरिश हेतु धन न देना, आर्थिक शोषण माना जाएगा![2]

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं पर प्रभाव–

1–**भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक भय** घरेलू हिंसा के कारण महिलाओं को अक्सर डर, चिंता और स्ट्रेस डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है। धमकियों और अपमानजंक व्यवहार के कारण व्यक्ति टूट जाता है। भावनात्मक आघात से अवसाद, आत्मसम्मान में कमी और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होने का खतरा बढ़ सकता है।

2. **आर्थिक चुनौतिया** – अपमानजनक संबंधों के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। दुर्व्यवहार करने वाले सदस्य पर निर्भरता पीड़ित को वित्तीय समस्या से जूझने का कारण बन सकता है। अपमानजनक स्थिति से बचने के लिए पीड़ित संसाधनों के बिना भी रह जाते हैं। वित्तीय बाधाएं लोगों को कानूनी मदद लेने, सुरक्षित आवास हासिल करने या चिकित्सा जैसे आवश्यक संसाधनों तक पहुंचने से रोक सकती हैं। यह आर्थिक अस्थिरता उनके स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के रास्ते में बाधा खड़ी कर सकती है![4]

3. **एकाकीपन**– घरेलू हिंसा अक्सर पीड़ितों को उनके समर्थन नेटवर्क से अलग कर देती है। इससे वे अकेले महसूस करते हैं। वे परिवार और दोस्तों से कट जाते हैं। दुर्व्यवहार करने वाले लोग पीड़ित के सामाजिक संबंधों को तोड़ने और प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इससे पीड़ित के लिए मदद मांगना या दुर्व्यवहार का खुलासा करना मुश्किल हो जाता है। एक मजबूत सहायता प्रणाली के अभाव में स्थिति और भी बदतर हो जाती हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि इससे निराशा की भावना पैदा हो सकती है। घरेलू हिंसा से स्वयं क़ो उबारने के उपाय घरेलू दुर्व्यवहार से उबरना एक चुनौतीपूर्ण यात्रा हो सकती है। डॉ. तुगनैत कहती हैं कि इसके लिए व्यावहारिक रणनीतियों के साथ–साथ परिवार और दोस्तों का सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखना भी जरूरी है। पेशेवर की भी मदद ली जा सकती है।[5]

1. **स्वयं क़ो प्राथमिकता देना** – घरेलू हिंसा का सामना कर चुकी महिलाओं को सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। इससे उसे अपना जीवन जीने में सहूलियत होगी। चाहे योग का अभ्यास करना हो, किसी पसंदीदा शौक में शामिल होना हो, प्रकृति में समय बिताना हो या बस शांति के साथ समय बिताना हो। ये सभी सेल्फ केयर में मदद क्र सकती हैं, जो मन, शरीर और आत्मा को पोषण दे सकता है। धीरे–धीरे वे गतिविधियों में समय और ऊर्जा निवेश कर साधारण सुखों में भी खुशी पा सकती हैं। यह उन्हें खुशी और संतुष्टि प्रदान करेंगी।

2. परवारिक समर्थन – ठोस सपोर्ट सिस्टम बनाना जरूरी है। इससे हील होने में मदद मिलेगी। उन मित्रों, परिवार या सहायता समूहों के साथ जुड़ना जरूरी है, जो उनके अनुभवों को समझते हैं। उनकी बातों को मान्यता देते हैं। वे अपनेपन की बहुत जरूरी भावना प्रदान कर सकते हैं। कहानियां

शेयर करना, सलाह मांगना और दूसरों को सहायता प्रदान करने से अलगाव की भावनाओं का मुकाबला हो सकता है। इससे सहानुभूति और समझ का नेटवर्क बन सकता है।

3. भावनाओं क़ो अभिव्यक्त करना– घरेलू हिंसा से पीड़ितों को पिछली गलतियों या हानिकारक कार्यों के बोझ से मुक्त होने की जरूरत है। क्रोध और नाराजगी को दबाए रखना व्यक्तिगत विकास और खुशी के रास्ते में आ सकता है। क्षमा से नकारात्मक भावनाओं को दूर करने, अपनी शक्ति पुनः पाने और हील होने में मदद मिलती है।

4. सीमा निर्धारित करना – घरेलू हिंसा के बाद स्वस्थ सीमा स्थापित करना जरूरी है। रिश्तों में स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। इससे वे जीवन पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। सीमा निर्धारित करने से सुरक्षित वातावरण और स्वस्थ रिश्ते बनाने में मदद मिलती है। यह सम्मान, विश्वास और आपसी समझ पर आधारित होते हैं।

5. विश्वास करना सीखे – घरेलू हिंसा से पीड़ित लोग अक्सर अपने साथ हुए विश्वासघात के कारण विश्वास संबंधी समस्याओं से जूझते हैं। दोबारा भरोसा करना सीखने में समय लगता है, लेकिन यह संभव है। इसमें धीरे–धीरे विश्वसनीय लोगों के लिए खुलना, प्रोफेशनल कि मदद लेना भी शामिल है। लोगों पर विश्वास करें, स्वस्थ संबंध बनाएँ। इससे खुशी और शान्ति दोनों मिल सकती है।

घरेलू हिंसा को समाप्त करने के उपायः–

1–घरेलू हिंसा पर रोक लगाने के लिए महिलाओं को शिक्षित करना एक उपाय हो सकता है, पर समस्या का पूरा समाधान नहीं। इसके साथ–साथ हमें उस पुरुष प्रधान सत्ता का अंत भी करना होगा, जो सदियों से चली आ रही है। हमें समाज की उन कुरीतियों को दूर करना होगा, जो घरेलू हिंसा को बढ़ाती है। जैसे पुत्र न होने पर महिला की उपेक्षा की जाती है। मासिक धर्म के दौरान उससे दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। समाज में समानता की सोच विकसित करना आवश्यक है।[6]

2–भारत में महिलाओं की सुरक्षा अब भारत में एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर बहुत हद तक बढ़ी है। महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलने से पहले दस बार सोचती हैं, खासकर रात में। भारत मे महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है। इसके बावजूद महिलाओं का उत्पीडऩ होता है। महिलाएं अब देश में सम्मानित पदों पर हैं, लेकिन अगर हम पर्दे के पीछे नजर डालें, तो भी हम देखते हैं कि उनका शोषण हो रहा है। प्रत्येक दिन हम अपने देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले भयावह अपराधों के बारे में पढ़ते हैं। घरेलू हिंसा को रोकने के लिए पुरुषों के साथ–साथ स्वयं नारी को नारी के प्रति सोच का नजरिया बदलना होगा।

3–महिलाओं की सुरक्षा व संरक्षण के लिए बने कानूनों की सफल क्रियान्विति जरूरी है। किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक या यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना जिसके साथ महिला के पारिवारिक संबंध हैं, घरेलू हिंसा में शामिल है। घरेलू हिंसा पर तभी रोक लगाई जा सकती है, जब अन्याय का शिकार होती महिलाओं को शीघ्र न्याय मिले।[7]

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 02, Issue 10, October 2023

4–जो नारियां घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, उन्हें स्वावलंबी बनाया जाए। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे वे किसी भी घरेलू हिंसा का मुकाबला कर सकेंगी। शिक्षित, स्वावलंबी नारी ही समाज को शक्तिशाली बना सकती है। घरेलू हिंसा के कानूनों को कड़ा बनाना चाहिए। जब लड़की अपने पैरों पर खड़ी होने लायक हो, तभी उसका विवाह किया जाना चाहिए।

5–वर्तमान परिप्रेक्ष्य में घरेलू हिंसा की मुख्य जड़ पति–पत्नी के रिश्तों के मध्य बढ़ती खटास के साथ ही दहेज प्रथा भी है। सामाजिक युगलों के मध्य आजीवन समन्वय, महिलाओं का सम्मान व सशक्तीकरण के साथ ही दहेजमुक्त समाज का होना भी आवश्यक है।

6–घरेलू हिंसा को रोकने के लिए सर्वप्रथम जो आवश्यक चीज है वह है नैतिक शिक्षा। बचपन से ही अगर अच्छे संस्कार मिल जाएं तो हर तरह की हिंसा पर लगाम लग सकती है।

7–घरेलू हिंसा के सभी पीड़ित आक्रामक नहीं होते हैं। हम उन्हें एक बेहतर वातावरण उपलब्ध करा कर घरेलू हिंसा के मानसिक विकार से बाहर निकाल सकते हैं। सुधार लाने के लिए सबसे पहले कदम के तौर पर यह आवश्यक होगा कि पुरुषों को महिलाओं के खिलाफ रखने के स्थान पर पुरुषों को इस समाधान का भाग बनाया जाए![8]

8–घरेलू हिंसा पर रोक के लिए बच्चों में ऐसे संस्कार पैदा करें, जिससे पुरुष और महिला को समान समझने की मानसिकता विकसित हो। विद्यालय एवं कॉलेज के पाठ्यक्रम में परिवार से संबंधित पाठ्यक्रम हो, मनोवैज्ञानिक कक्षाओं का संचालन किया जाए। बालिकाओं को भी सक्षम बनाया जाए। महिला हिंसा की जड़ हमारी पुरुषवादी सोच है। इस सोच को समाप्त करके ही महिला हिंसा समाप्त कर सकते हैं।[9]

9–आपसी समझ में कमी, सहनशीलता का अभाव, आर्थिक और सामाजिक समस्याएं घरेलू हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं। शिक्षा, संस्कृति, प्रेम और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना ही घरेलू हिंसा पर प्रभावी रोक लगा सकती हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू हिंसा रोकने के लिए कानून का कठोरता से पालन भी आवश्यक है। सबसे जरूरी है कि परिवार के मुखिया की समझ, सामंजस्यता और नियंत्रण। यदि परिवार में संस्कारों का उचित प्रवाह बना रहेगा, तो घरेलू हिंसा पर स्वत रोक लग जाएगी।

9–**समाज व कानून साथ मिलकर काम करे–** देश मे घरेलू हिंसा के बढ़ते मामलों पर हमारे पास एक ही विकल्प है कि समाज और कानून दोनों अपने–अपने स्तर पर प्रयास करें। सबसे पहले सरकार को कड़े कानून बनाने चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाने चाहिए ताकि पीड़ित को तुरंत न्याय मिले। दूसरी तरफ समाज से ये अपेक्षा कि जाती है कि वह महिलाओं का सम्मान करने की परम्परा विकसित करे ।अभिभावक खुद बच्चों के साथ अच्छे से पेश आएं, ताकि उनकी मानसिकता पर नकारात्मक असर ना हो। समाज और कानून के आपसी समन्वय से ही इस समस्या से निजात पायी जा सकती है।

10–घरेलू हिंसा के पीछे जो कारक हैं वह परिवार में किसी एक विशेष की सत्ता बनाए रखने की प्रबल इच्छा है। वह व्यक्ति अपनी सोच व समझ को ही महत्त्वपूर्ण व आखिरी मानता है। ऐसी स्थिति में सभी रिश्ते पिसते हैं, घर में कलह व भय का वातावरण बना रहता है। जो भी व्यक्ति घर में

अपना अभिमत रखने का प्रयास करता है, तो उसे अनुशासनहीन माना जाता है। परिवारों में स्वस्थ संवाद और एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना का विकास करके ही घरेलू हिंसा से बचा जा सकता है!

11–देश में घरेलू हिंसा के मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो पिछड़े इलाकों में महिलाएं, पुरुष, बाल–बच्चे तथा बुजुर्ग घरेलू हिंसा के ज्यादा शिकार होते हैं। घरेलू हिंसा रोकने के लिए इससे जुड़े कानून व अधिनियम को सटीक रूप देने की जरूरत है। ग्रामीण इलाके में कानून की जानकारी का अभाव है। इसलिए पीड़ित अपनी आवाज नहीं उठा पाते। कई मामले सामाजिक पंच निपटा देते हैं।

12–घरेलू हिंसा हमारी संस्कृति और विकास में एक विकार है। इसे रोकने के लिए पुरुषों और समाज को अपनी मनोवृत्ति बदलनी होगी। घरेलू हिंसा की शिकार अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती हैं, जिनका कारण बेमेल विवाह और समाज का डर है। सरकार को प्रभावी कानून बनाने चाहिए, ताकि घरेलू हिंसा पर लगाम लगाई जा सके।

13–महिला सुरक्षा को लेकर बनाए गए नियम व कानून के बाद भी महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध की घटनाएं समाज की स्त्री के प्रति संकुचित मानसिकता को व्यक्त करती है। भारत ही नहीं, अपितु विश्व स्तर पर घरेलू हिंसा के मामलों में निरंतर वृद्धि हो रही है। ऐसी हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए अब महिलाओं को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है, ताकि वह स्वयं हानि पहुंचाने वालों के विरुद्ध आवाज उठा सकें। सामूहिक तौर पर इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए ऐसी हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी सामाजिक अभियान की शुरुआत करनी चाहिए।[10]

सन्दर्भ–

1–सोशल वर्क डाट इन
2–समर चौरसियाः– भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति
3–शबनम सलीम –घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 भाग 1
4–दृष्टि. इन –घरेलू हिंसारू कारण और समाधान
5– punjabkesari.in Friday, Sep 18, 2015
6–मोहिनी जैन –महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसारू एक समाजशास्त्रीय अध्ययन ।
7–डॉ आस्थारू– महिला अपराधों की रूपरेखा
8–प्रज्ञा कांत :–महिलाओं की सामाजिक समस्याएं प्रज्ञा कांत
9–आर्टिकल, डॉ शिवानी –महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एवं महिला अधिकारों का सामाजिक आर्थिक स्तर के परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्रीय अध्ययन
10–सुनील मौर्य –घरेलू हिंसा कानून